(104) (1)

संख्या–118 /XVII-4/2017–01(82)/20

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–4 **देहरादून, दिनांक 07 मार्च, 2017**

विषयः अनुसूचित जाति दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति आवंटन सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1115/XVII-4/2015–10(43)/2014 दिनांक 07.09.2016 एवं 1164/XVII-4/2016–10(43)/2014 दिनांक 21.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कुल देय धनराशि का 50 प्रतिशत उन छात्रों को जिनका आवेदन पत्र पहले प्राप्त हुए हैं, को सुनिश्चित करते हुए अवरोही क्रम में प्राथमिकता के आधार पर धनराशि का ऑनलाईन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–1197/XVII-4/2016–01(82)/2014 दिनांक 25.11.2016 के अनुसार सर्वप्रथम शासकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को शत्प्रतिशत छात्रवृत्ति का भुगतान कियां जाय तथा शेष शिक्षण संस्थानों में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार वरीयता क्रम में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाय।

AO (P)
15/3/17

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या– /XVII-4/2017–01(82)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून
2. अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर **सचिव।**